

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर अन्तर्गत चिरका जलाशय योजना एवं अन्नराज वीयर योजना के याँत्रिक कार्य हेतु रू० 44.50 लाख (चौवालिस लाख पच्चास हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर अन्तर्गत चिरका जलाशय योजना एवं अन्नराज वीयर योजना के याँत्रिक कार्य हेतु रू० 44.50 लाख (चौवालिस लाख पच्चास हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

(A) चिरका जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले याँत्रिक कार्य (रू० 26.06 लाख) :-

- (i) चिरका जलाशय योजना के Emergency and Service गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।
- (ii) Embedded Part एवं Hoisting arrangement का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।
- (iii) उत्तोलन प्रणाली एवं Trash Rack का निर्माण एवं अधिष्ठान कार्य।
- (iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।
- (v) तीन वर्षों तक के लिए R/M एवं Operation का कार्य।

(B) अन्नराज वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 18.44 लाख) :-

- (i) C/R एवं H/R Gates का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
 - (ii) Hoisting Platform एवं Shade का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
 - (iii) उत्तोलन हेतु Winch Crab m/c एवं wire rope एवं Spindle लगाने का कार्य।
 - (iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।
3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
 4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017-18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी लातेहार कोषागार से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इन कार्यों को वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, लातेहार, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मंडल/लातेहार शिविर मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, पलामू प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-126-2016 / / राँची / दिनांक 22.09.2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

22/09/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)